राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	महावीर प्रसाद बनाम सत्येन्द्र सिंह 40/2011 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10/04/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 17/04/2026 को पेश हो | राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
17/04/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि साबिक आराजी खसरा नम्बर 268 लगायत 271 ग्राम बनेटी तहसील कोटपूतली जिला जयपुर जिसके हाल नम्बर 510, 511, 515 व 516 कुल रकबा 1.32 हैक्टेयर बने है। उक्त भूमि पूर्व में श्योनारायण सिंह पुत्र खेत सिंह तथा फूल सिंह पुत्र बिडध सिंह के नाम खातेदारी में चली आ रही थी । लेकिन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने से पूर्व से ही वादी के मामा रामरतन पुत्र हरदेव बतौर उपकृषक काश्त करते चले आ रहे है जिनका राजस्व रिकार्ड में भी इन्द्राज है | रामरतन शर्मा पुत्र हरदेव जो अपीलान्ट वादी के सगे मामा थे के कोई पुत्र व पुत्री न होने के कारण अपीलान्ट को ही अपने पास रखा और अपीलान्ट ही उनका एकमात्र वारिस और काबिज हैं । अपीलान्ट ने अपने वाद में यह भी स्पष्ट किया पूर्व खातेदार श्योनारायण सिंह व फूल सिंह आदि का व उनके पुत्रान का कभी कोई कब्जा नहीं रहा लेकिन अपीलान्ट के पूर्वज रामरतन शर्मा को परेशान करने की गरज से श्योनारायण सिंह के वारिसान ने गलत रूप से एक नुमाईशी विक्रय पत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम कर दिया जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कोई कब्जा उक्त आराजीयात में नहीं रहा है, और न ही श्योनारायण सिंह व उनके वारिसान का था। फूल सिंह पुत्र बीडथ सिंह का भी काफी अर्से पहले स्वर्गवास हो चुका है और वह लाऔलाद होने के कारण उनकी जायदाद पर अपीलान्ट व अपीलान्ट के पूर्वज रामरतन भी काबिज चले आ रहे हैं, और इसलिए सरकार तहसीलदार को भी पक्षकार बनाया गया है। अपीलान्ट के सगे मामा रामरतन का भी स्वर्गवास अर्सा 20 साल होने के कारण अपीलान्ट ही रामरतन के पास बतौर बहन का लडका वारिस होने के कारण व रामरतन जी द्वारा अपीलान्ट को ही बतौर पुत्र अपने पास रखने के कारण अपीलान्ट ने ही उनके मृत्यु की सारे क्रियाकर्म किये और. पगडी दस्तूर भी किया हैं, इस प्रकार अपीलान्ट ही रामरतन जी का एकमात्र वारिस है । प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपीलान्ट के कब्जे में दखल देने के कारण वाद प्रस्तुत करना पड़ा । राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	महावीर प्रसाद बनाम सत्येन्द्र सिंह हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

401/2011

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये | जिस पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण बाद तामील अनुपस्थित आने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी | तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी की एकपक्षीय बहस समायत कर निर्णय दिनांक 04/07/2011 पारि.. करते हुये वादी का वाद पक्ष सिद्ध के अभाव में ख़ारिज फरमा दिया गया | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी, जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्यों को सही रूप से विवेचित करते हुये अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किये गये है, जिसमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी प्रतीत नही होती है | ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में कोई हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित्त एवं आवश्यक नही समझा जाता है |

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 04/07/2011 यथावत रखे जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 17/04/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर